[Shri P. G. Mavalankar]

raise in this House certain other issues pertaining to Gujarat, because there is no Assembly and there is no Government there....

SHRI MADHU LIMAYE: He can raise it later on.

SHRI P. G. MAVALANKAR: The constitutional question is pending, and, therefore, you have permitted it to be raised. But when people are starving of hunger and suffering from thirst and famine you do not permit us. People are not interested merely in constitutional debates--of course, we are here to debate on constitutional questions and problems....

MR. SPEAKER: May I request the hon. Member to sit down? I do not know what the Deputy-speaker had said. I shall see the proceeding and then I can give a final ruling. If the Deputy-Speaker has ruled that way, I am not going to go agaist that.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Effect of dissolution of Gujarat Legislative Assembly on the Presidential Election of 1974.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात विधान सभा की बरखास्तगी का तथा राष्ट्रपति के आगामी चुनाव का सवाल उठाना चाहता हूं। यह नोटिस मैंने 20 मार्च को ही दिया था। आज अप्रैल की 23 तारीख है। आपने सरकार को इस पर सोचने का काफी मौका दिया है। अब सरकारी प्रवक्ता अखबारों में वक्तव्य भी देने लगे हैं, यह अनुचित है, इसमें संविधान के बड़े मसले उठते हैं। राज्यों के अधिकारों का सवाल है। इसलिये इस प्रश्न के सभी पहलू मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अब तक राष्ट्रपति पद के लिये पांच चुनाव हुये। मगर पहले ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। हां, लोक सभा या विधान सभाओं के कुछ स्थान जरूर खाली रहे होंगे लेकिन कभी विधान सभा की बरखास्तगी का सवाल इसमें नहीं था। एक बार लोक सभा के 6 स्थान रिक्त थे। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद राष्ट्रपति की इच्छा से ही एक संवैधानिक संशोधन विधेयक इस सदन में सामने 1961 में आया। लेकिन इसमें भी विधान सभा की बरखास्तगी का सवाल नहीं था। इस लिये इस के संबंध में मेरे जो सवाल हैं मैं अपने नोटिस के आधार पर हीं आप के सामने रखना चाहता हूं। उसका सरकार सिलसिले वार जवाब दे।

(1) According to article 54 of the Constitution of India, the President is elected by an electoral college consisting of the elected members of the Assemblies and of the two Houses of Parliament.

(2) However, it is the different States, which means each and every Sate, which are to be represented at this election. This is clear from the wording of article 55(1).

(3) Representation of the different States has to be uniform. This means that no States can be shout out from participation in the Presidential election. Otherwise, the representation of States cannot be uniform.

(4) There has to be parity between the representation of the states as a whole and the Union. If one State or more than one State is not represented at the election, how can the parity between the States and the Union be maintained? To destroy parity in any way would be violative of art. 55(2). Even if one State is deprived of representation at this election, the Union will enjoy not parity but superiority in relation to the States.

(5) Article 71(1) says that all doubts and disputes arising out or in connection with the election of a President shall be inquired into and decided by the Supreme court whose decision shall be final, arising out of or in connection with the election.

एराइजिंग आउट आफ का मतलब होगा कि चुनाव के बाद लेकिन इन कनेक्शन विद व्यापक है, चुनाव संबंधी सारे मामले इसमें आ जाते है।

This also enables us to clarify the position with regard to the incomplete constitution of the electrical college There is a difference between incomplete constitution of the electoral college and vacancies among members of the electoral college. The clause relating to vacancies is as follows:

अध्यक्ष महोदय, इसी पर शायद सरकार इस बात का समर्थन करने जा रही है।

"71(4) The election of a person as President or Vice-President shall not be called in question on the ground of the existance of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him".

अब वैकेंसीज का क्या मतलब है ? उस समय जो विधेयक सदन के सामने आया था उस समय के कानून मंत्री ने इस बिल का प्रस्ताव करते हुये जो भाषण दिया था उसका केवल एक अनुच्छेद मैं उद्धृत करना चाहूंगा. जिससे बिल्कुल साफ हो जायगा कि विधेयक की मंशा थी कि अगर विधान सभा में या लोक सभा में दो चार स्थान रिक्त है, खाली है विशेष परिस्थिति मे मौसम के चलते या और किसी दुर्घटना के चलते तो उसके बिना भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। इसमें ए के सेन साहब कहते है :

"The second provision is with regard to the election of the President. It is well known that the elections in some of the difficult areas cannot be completed before the Presidential elections are held immediately after the general elections because the electoral college for the purpose of electing the President consists of the members of the two Houses here as also the members of the legislative Assemblies of States. So it has to be done after the elections. But the elections, particularly in the snow-bound areas, cannot take place before May and, therefore, the election of the President takes place before these elections in the outlying areas are completed."

इसका मतलब है कि जो साधारण चुनाव विधान सभा और लोक सभा का है वह पूरा होने के बाद और इन सभाओं का कास्टीट्यूशन होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि स्नोफाल के इलाके में जैसे हिमाचल प्रदेश और काश्मीर में चुनाव नही हुये थे और 6 जगहे रिक्त थी इसलिये सवाल उठा कि क्या इन रिक्त स्थानो के रहते हुये राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है. इसके बारे मे जैसा कि मैंने कहा कि संवैधानिक संशोधन आया। लेकिन इसके संबंध मे मैं कहना चाहता हूं :

This is qualitatively different from the gap caused by the non-existence of the Gujarat Assembly.

"If there is any doubt about the constitutional position, there should be a reference of the issue to the Supreme Court for obtaining its opinion under article 143."

14 hrs.

मेरा सातवां और आखरी मुद्दा है—

"Elections to the Gujarat State Assembly can be held in May this year immediately after the monsoon; if the delimitation work can be completed by April, the May elections would be feasible. If this cannot be done, then the Presidential election will have to be postponed. Article 56(1)(c) provides that even after the expiration of his term, the President shall continue to hold office until his successor is elected. This shows there can be a brief extension of the date of the Presidential election to enable Gujarat to be represented on this election. However, the provision of Article 62(1) would seem to rule out any extension; it says that the election must be held before the end of the five early term."

[श्री मधु लिमये]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) अध्यक्ष जी, इस संबंध मे मैंने भी आपसे कुछ कहने की इजाजत मांगी है। जो मुद्दा उठ या गया है वह संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से बडा महत्वपूर्ण है। यह खेद का विषय है कि संसद मे आकर कोई अधिकृत वक्तव्य देने के बजाय सरकारी प्रवक्ता समाचार पत्रों में यह कह रहे हैं कि भले ही गुजरात और पांडिचेरी विधान सभाओं के चुनाव न हो, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अगस्त के महीने मे होगा। मेरा निवेदन है कि विधि मंत्री इस संबंध मे सदन मे आकर वक्तव्य दें।

जैसा कि मेरे मित्र श्री मधु लिमये ने कहा यह प्रश्न कुछ स्थानो के रिक्त होने का नहीं है। अगर कुछ राज्यो मे विधान सभाये अस्तित्व में नहीं हैं तो फिर राष्ट्रपति को चुनने के लिये जो इलैक्टोरल कालिज बनेगा वह पूरा नही होगा। पूरा न होने से क्या परिणाम हो सकता है इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हू। पिछली बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो श्री गिरी और श्री संजीव रेड्डी मे संघर्ष था। श्री गिरी 14650 वोटिंग यूनिट्स से जीते थे। गुजरात की विधान सभा के जो मेम्बर है, उनके वोटिंग की कीमत 20 हजार वोटिंग यूनिट्स हैं। अब अगर वहां विधान सभा अस्तित्व मे नही है उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मे भाग नहीं ले सकते, इससे राष्ट्रपति का चुनाव बडी मात्रा मे प्रभावित हो सकता है जो कि विधान सभा के सदस्यो के साथ भी न्यायसंगत नही होगा और समूचे राष्ट्रपति पद के चुनाव को भी एक दृष्टि से दूषित कर देगा।

मैं नही चाहता कि राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल बढ़े यद्यपि संविधान मे उसकी व्यवस्था है और श्री मधु लिमये जी ने उसका उल्लेख भी किया है। लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन से कहा जा सकता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव क्षेत्रो का परिसीमन करे और गुजरात तथा पांडिचेरी मे चुनाव कराने जायें। अगस्त मे राष्ट्रपति पद का चुनाव होने से पहले इन विधान सभाओ के चुनाव संपन्न कराये जा सकते है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नही है। डीलिमिटेशन कमीशन आजकल सारे देश का दौरा कर रहा है। अभी मध्य प्रदेश के बारे मे उन्होंने संसद सदस्यो से चर्चा की है। डीलिमिटेशन कमीशन से कहा जा सकता है कि वह पहला काम गुजरात और पाण्डिचेरी की परिसीमन का हाथ मे ले। अगर तत्काल काम हाथ मे लिया जाये त काम पूरा हो सकता है और चुनाव कराये जा सकते है।

लेकिन अगर सरकार ने अपना दिमाग बनाया हुआ है कि हमे विधान सभाओ की चिन्ता नहीं है तो यह एक बडी खतरनाक परम्परा को कायम करना होगा। यह ठीक है कि गुजरात की विधान सभा मे कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन देश मे ऐसी परिस्थिति भी कभी आ सकती है जब कि केन्द्र में एक पार्टी की सरकार हो, अगर राज्यों के विधान सभाओं मे अन्य दलों के [illegible] रहीं हों और चुनाव निकट आ जाने और केन्द्र मे बैठी हुई सरकार आर्टीकल 356 का उपयोग करके ऐसी विधान सभाओ को भंग कर दे जिन विधान सभाओं के सदस्यो से उसे आशंका हो कि वे उसके उम्मीदवार को वोट नही देंगे तब तो संघीय पद्धति का हमारा संविधान टुकडों मे बिखर जायेगा--ऐसी गलत परम्परा नही डाली जानी चाहिये।

इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हू और इस बारे मे भ्रम सन्देहों को दूर करने के लिये आर्टीकल 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट की राय लिये जाने का अनुरोध करता हू। सुप्रीम कोर्ट को मामला भेज कर उसकी राय प्राप्त की जाय और विधि मंत्री संसद मे आ कर एक अधिकृत वक्तव्य दे और फिर उस पर आवश्यक हो तो हम चर्चा करे।

MR. SPEAKER. I will send all these points raised by both of you to the Law Minister as well as the

Home Minister so that they might examine them and come out with a statement.

श्री मधु लिमये : लेकिन अखबारों में दे रहे हैं —

They are trying to influence public opinion.

MR. SPEAKER: I do not know what is coming in the Press. The points raised here were vital points and they will be forwarded to the hon. Ministers.

SHRI MADHU LIMAYE: The Law Minister is treating us with contempt.

कई मामले ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं देते हैं, एक महीने से अधिक का नोटिस मिलने के बाद भी जवाब नहीं आता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अखबारों में निकला है——

"The Union Government has no intention of postponing the next Presidential election, which will be held in August as scheduled."

MR. SPEAKER: Now that you have raised the objections, these will be conveyed to them and they will be asked to come before the House with their views about this matter.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, कुछ तो आदेश दीजिये—इसमें हमारे अधिकारों का सवाल आता है। आप आदेश दीजिये कि कल के आर्डर पेपर पर उनका ध्यान होना चाहिये, हम लोगों को पता लगना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि जवाब ही न आये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहते हैं कि जो क्वाइन्टस उठाये गये हैं उनका रात-रात में जवाब आ जाय।

श्री मधु लिमये : मैंने कहा है कि अगर वे वक्तव्य दे रहे हैं तो आर्डर-पेपर पर आना चाहिये। यह न हो कि न्यू फ्रेंड्स सोसाइटी की तरह से शाम के 6 बजे आकर वक्तव्य दे दें।

अध्यक्ष महोदय : न्यू फ्रेन्ड्स तो ऐसे ही होते हैं।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakoram). Regarding this matter I want to say something.

MR. SPEAKER: I am not going to allow anybody. If I allow you I will have to allow others also. You are yourself occupying this Chair at sometime. We go to the next point, not the old one. He has come with another interesting point. The zero hour used to take half an hour previously. Now it takes two hours sometimes. How long will you take?

SHRI SEZHIYAN: Half an hour.

MR. SPEAKER: No; not more than five minutes.

(ii) Constitutional position arising out of not passing in time of supplementary Demand for Grants of Pondicherry for 1973-74

SHRI SEZHIYAN (Kumbakoram): Under rule 377 I sought your permission and I am thankful to you for giving me an opportunity to raise the following point: consideration of the constitutional position arising out of the demands for supplementary grants for 1973-74 for the Government of Union Territory of Pondicherry presented to the Pondicherry Legislative Assembly on the 26th March 1974, not passed in time.

It has become my painful duty to point out another lapse on the part of the Government in regard to the financial matters of the Union Territory of Pondicherry. The demands for grants for 1973-74 of the government of the Union Territory of Pondicherry have been presented to the Assembly of Pondicherry on 26th March, 1974; I have with me a copy of the brief record of the pro-